



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

मानचित्र संख्या 273/77-93
दिनांक 12-6-97

श्री/श्रीमती/मि० ३७० २१७० ६३३३३३

M 1579

77-11 सुभाष नगर, धर्मपुर
देहरादून


आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-5-97 के सन्दर्भ में आपको प्रस्तावित आपका
मौहल्ला/ग्राम/कालोनी में 273/77-93 स्थित निर्माण का संलग्न मानचित्र
निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है :-

- १- यह मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा
- २- मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं।
- ३- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनधिकृत माना जायेगा।
- ४- यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके।
- ५- जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ६- दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बड़े न हो व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हो।
- ७- बिजली की लाइन से ५ फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- ८- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- ९- सड़क सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री, विल्डिंग मैटेरियल नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- १०- निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे।
- ११- निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- १२- पानी की निकासी के लिये वैड छोड़ना होगा।
- १३- यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपा कर अथवा फर्जा एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार हो कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।
- १४- इस मानचित्र की स्वीकृति को भूमि के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को भूस्वामित्व के साक्ष्य का आधार नहीं माना जायेगा।
- १५- सीलिंग से विवादित भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।
- १६- रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में बाऊन्ड्रीवाल गेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
- १७- ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी को देखते हुए १५ अप्रैल से ३० जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा।
- १८- पर्वतीय भू भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी।
- १९- भवन निर्माण करते समय भूकम्प से सुरक्षात्मक तकनीक प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा।

सचिव/उपाध्यक्ष

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

FRONT ELEVATION






SIDE ELEVATION



24' WALL

FOUNDATION




BOULEVARD WALL


FOUNDATION

GROUND FLOOR

SIDEWALK PLX



十
四
下
下
下
下
下



PER RACE P 27


PRIP OF SH. DEEPAK GOYAL

182卷

2. GATE 1.

NATHAN

5172



PROP. OF SH. RACHUR

IV
A
II

WINDOON
WINDOON
WINDOON
VENTILE
FIRTH

五十五

PLANNING

SCALE 1/11.100

DRN. TEL

○

U
m
π
σ
+
λ
z
γ
z

三

100

—

Ashok Kumar Agarwal
A. ASHOK KUMAR AGARWAL
B. Singh, All India

REGISTERED AIRCRAFT
REGN. NUMBER 43750

AG-1 RMAIL-A5500 LATE


CONSULTANT

PLATE III
THE WALLS OF THE TEMPLE

[illegible]

APPLICANT

(11) Pakhura
(K.C. Pakhura)



STAIR DETAIL

WINDY WINDY

ALL OMANDELL
FOR SANCTION

१. महत्त्व मानचित्र, ठर गणितीय प्रमाण
 २. अक्षर चित्रा आता हे को ह्याच प्रमाण
 ३. लक्ष्य किती मते आदेश मज याच
 ४. प्रतिक १०-६-२५ अक्षर चित्रा प्रमाण

AREA		PERCENT
TOTAL PLOT AREA	225.00	
GROUND FLOOR COV	111.94	
FIRST FLOOR COV AREA	55.8	
TOTAL COV AREA	167.77	
OPEN AREA	111.02	
F.A.R.	1.015	

ST. LOUIS, MO. 63101

ए. भवन मानचित्र, उ. प. विभाग के तहत
 प्रोक्त किया जाता है जो इसका सत्य
 प्रमाण किये गये आदेश पत्र संख्या 273/97-98
 दिनांक 12-6-74 अंकित किये गये हैं।

महोदय-देहरादून विभाग, उत्तरांचल प्रदेश
 देहरादून

RECOMMENDED
 FOR SANCTION

90CM WIDE

RE DETAIL

PROPOSED BUILDING
 PLAN FOR SH. KUSHAN
 BAHUGUNA S/O SH. DATA RAM
 BAHUGUNA KH. NO 276 SITUATED
 AT MUZA DHARAMPUR PARGA
 NA CENTRAL DDON DISTT D. DUN

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA	220.00 SQ. M.
GROUND FLOOR COV. AREA	111.94
FIRST FLOOR COV. AREA	55.83
TOTAL COV. AREA	167.77
OPEN AREA	111.92
PLANT AREA	10.75

SCHEDULE OF DOOR/WINDOW

DOOR	90x120
DOOR	100x120
DOOR	100x120
WINDOW	100x120
WINDOW	100x120

PLAN (N.T.S.)

P. NATHAN